न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– संजू पारीक आर.ए.एस.

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या–08 / 2025

1. ओमप्रकाश पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

–अपीलान्ट

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. मनीराम पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. अमीलाल पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. राजस्थान राज्य तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

–असल रेस्पोडेन्टगण

6. चिड़िया पुत्री कानाराम जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
7. लिछमा पुत्री दशरथ पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
8. द्रोपती पुत्री दशरथ पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
9. मांगाराम पुत्र दशरथ पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
10. मनोहरलाल पुत्र दशरथ पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:46:37 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

11. रोहताश पुत्र दशरथ पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

12. ममता पुत्री दशरथ पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

13. मैनावती पुत्री दशरथ पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

14. मनफुल पुत्र सिंगारी पुत्री कानाराम जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

15. काशीराम पुत्री सिंगारी पुत्री कानाराम जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

16. महेन्द्र पुत्र सिंगारी पुत्री कानाराम जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

17. नोरंगलाल पुत्र सिंगारी पुत्री कानाराम जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

18. हरदेई पुत्री सिंगारी पुत्री कानाराम जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

19. श्योपारी पुत्री सिंगारी पुत्री कानाराम जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

20. संतो पुत्री सिंगारी पुत्री कानाराम जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

21. तुलछा पुत्री सिंगारी पुत्री कानाराम जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

22. रोहिताश पुत्र जीतराम पुत्र सिंगारी पुत्री कानाराम जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

23. सावित्री पत्नी जीतराम पुत्र सिंगारी पुत्री कानाराम जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

24. विक्रम पुत्र भागी पुत्री सिंगारी पुत्री कानाराम जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:46:37 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

25. मांडा पुत्री भागी पुत्री सिंगारी पुत्री कानाराम जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

26. गिरदावरी पुत्री सरबती पुत्री कानाराम जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

27. चन्द्रो पुत्री सरबती पुत्री कानाराम जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

28. भाना पुत्री सरबती पुत्री कानाराम जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

29. तारावती पुत्री सरबती पुत्री कानाराम जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

30. बलवीर पुत्र सरबती पुत्री कानाराम जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

31. फुला पत्नी हेतराम जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

32. गुड्डी पुत्री हेतराम जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

33. निमो पुत्री हेतराम जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

34. सोना पुत्री हेतराम जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

35. कलावती पुत्री हेतराम जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

36. कृष्ण कुमार पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

37. बीरबलराम पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

–तरतीबी अपीलान्टस

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:46:37 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थितः– श्री [illegible] अधिवक्ता अपीलान्ट।

श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

प्रकरण संख्या– 08/2025 अनवान औमप्रकाश बनाम रामजीलाल आदि

निर्णय दिनांकः–22.04.2026

अपीलांट ओमप्रकाश पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर द्वारा तहसीलदार नोहर द्वारा अनवानी प्रकरण रामजीलाल बनाम स्टेट में पारित निर्णय दिनांक 19.05.2023 को अपास्त करवानें बाबत अपील पेश की गई है, जिसके संक्षेप मे तथ्य निम्न प्रकार है–

1. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने मातहत अदालत में एक प्रार्थना पत्र इस आश्य का पेश किया कि रोही मौजा मालिया तहसील नोहर के खसरा नं. 111 की 10.892 है0 व खसरा नं. 52 की 4.5540 है0 भूमि अपीलान्ट के दादा कानाराम पुत्र शेराराम ने अपने तीन पुत्र रामजीलाल, मनीराम व अमीलाल पुत्रगण कानाराम के पक्ष में वसीयत करवाई थी जिसकी वसीयत सब रजिस्ट्रार नोहर में दिनांक 24.07.1981 को पंजीकृत करवाई थी एवं वसीयतकर्ता का दिनांक 15.09.1987 को देहान्त हो चुका है। इसलिए बाद देहान्त मुताबिक वसीयत रेस्पोडेन्ट के नाम इन्तकाल दर्ज किया जावे। जिस पर तहसीलदार (राजस्व) नोहर ने बिना विधिवत रूप से सुनवाई किये मुताबिक वसीयत इन्तकाल दर्ज करने के आदेश दिये गये, जो मातहत अदालत ने विधि के मान्य सिद्धान्तों के खिलाफ निर्णय पारित किया है, जो निरस्त योग्य है ।

2. कानाराम पुत्र शेराराम जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर की विवादित कृषि भूमि, जो कि अपनी पैतृक कृषि भूमि से पैदाकरदा कृषि भूमि है। इसलिए वाद भूमि कानाराम की पैतृक भूमि है, जो अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 6 ता 37 का भी हक हिस्सा था जिसके अनुसार विरासतन नामान्तरण नियमानुसार दर्ज होना था लेकिन कानाराम पुत्र शेराराम ने अपने जीवनकाल में किसी भी प्रकार की वसीयत नहीं करवाई थी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 ने फर्जी दस्तावेज वसीयत तैयार कर अपने पक्ष में वसीयत के अनुसार नामान्तरण दर्ज करवाया है, जो कि निरस्त योग्य है व इससे पूर्व नामान्तरण संख्या 901 दिनांक 07.01.2022 को तहसीलदार नोहर द्वारा इसी वसीयत का नामान्तरण खारीज किया गया था।

3. मातहत अदालत ने जैरकार [illegible] दिनांक [illegible]2.2023 को प्रस्तुत किया गया जिसमें आम सूचना आवेदक अमी[illegible] पुत्र [illegible]राम जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर को [illegible] स्वयं व्यय पर सार्वजनिक विज्ञप्ति राज्य/राष्ट्रीय स्तर के दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाने हेतु आदेशित किया गया, जो कि प्रार्थी ने बिना राज्य/राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र में विज्ञप्ति न करवाते हुए गुपचुप तरीके से वसीयत का नामान्तरण अपने पक्ष में करवा लिया एवं अपीलान्ट एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 6 ता 37 को अपने हक व हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:46:37 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

से वंचित कर दिया एवं बिना ग्राम पंचायत की रिपोर्ट लिये एवं ग्राम पंचायत में बिना कोई सूचना पट्ट पर सूचना लगाये विधि विरूद्ध तरीके से नामान्तरण तस्दीक करवा लिया जो कि खारीज योग्य है।

4. मातहत अदालत की पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 ने प्रस्तुत नहीं किया, जिससे वसीयत का निस्तारण किया जा सके एंव ना ही कोई शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया नहीं है, उसके बावजूद भी मातहत अदालत ने विवादित भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 के पक्ष में वसीयत मानते हुए साजीसाना तरीके से विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है, जो निरस्त योग्य है।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 ने मातहत अदालत में जो प्रार्थना पत्र पेश किया उसमें नियमानुसार हल्का पटवारी से एवं ग्राम पंचायत से मौका व विवाद की रिपोर्ट ली जानी होती है एवं आपति हेतु राज्य/राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित करवाना होता है। ऐसा मातहत अदालत द्वारा नहीं किया गया है, जिससे पूर्णतय स्पष्ट है। मातहत अदालत द्वारा उक्त निर्णय रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 से मिलकर विधि के विरूद्ध मातहत अदालत ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए जल्दबाजी व साजीसाना तरीके से विधि विरूद्ध निर्णय किया, जो निरस्त योग्य है।

6. अपीलान्ट के पिता हेतराम पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर ने दिनांक 28.09.1985 को एक प्रार्थना पत्र श्रीमान् जिलाधीश महोदय श्रीगंगानगर को इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम पंचायत अरड़की रोही मौजा मालिया के खसरा नं. 52 व 111 की कुल 61 बीघा 1 बिस्वा भूमि का नामान्तरण हेतराम पुत्र कानाराम को छोड़कर तीनो भाईयों ने अपने नाम दर्ज करवा रहे है, जिसको रोकने हेतु एवं चारों भाईयों के बराबर बराबर दर्ज करने के आदेश प्रदान करे। जिस पर श्रीमान जिलाधीश महोदय श्रीगंगानगर द्वारा तहसीलदार नोहर को आदेशित किया गया कि सभी पक्षों को नोटिस दिया जाकर सुनवाई का अवसर व सुना जाकर उक्त वाद भूमि का नामान्तरण दर्ज करने हेतु आदेशित किया गया था, जिसकी सुनवाई तहसीलदार नोहर के जैरकार है, जिसको छुपाते हुए मातहत अदालत ने प्रार्थना पत्र को एवं श्रीमान जिलाधीश महोदय श्रीगंगानगर के आदेश को [illegible]र निर्णय पारित किया गया है, जो कि काबिले खारीज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:46:37 IST
Reason: SelfAttested

7. मातहत अदालत ने बिना पत्रावली का अवलोकन किया व बिना रिपोर्ट व बिना पंचायत के अनापति प्रमाण–पत्र एवं बिना समाचार पत्र में प्रकाशन करवाये सिर्फ वसीयत गवाहों के ब्याने से साबित मानते हुए निर्णय पारित किया गया है, जो कि कानूनन विधि विरूद्ध है एवं निरस्त योग्य है।

अपर जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

8. मातहत अदालन ने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अवलोकन नहीं किया वसीयत के रूप में पेश किये गये दस्तावेज के मुल्यांकन से ही प्रतीत हो जाता कि यह एक कूटरचित दस्तावेज है, जिसमें स्वयं वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर नहीं है व कुटरचित दस्तावेज पर किये गये हस्ताक्षर आपस में मेल नहीं खाते है यदि गहन अवलोकन कर निर्णय किया जाता तो वसीयतकर्ता ने अपनी वसीयत में स्पष्ट लिखा है कि मेरी आयु 72 वर्ष हो चुकी है एवं कुछ दिनों से मेरा शरीर व मन अस्वस्थ होने की वजह से दिनो दिन कमजोर हो रहा हुँ। इसलिए जल्दबाजी में विधि विरूद्ध निर्णय किया गया है, जो निरस्त योग्य है।

9. मातहत अदालत द्वारा प्रभावित पक्षकारों को सुनने का कोई अवसर दिया गया कानूनन प्रभावित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। इसलिए निर्णय स्वैच्छाचारी, मनमाना एवं कानून सम्मत नहीं है जो निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है। इसलिए निरस्त योग्य है।

10. मातहत अदालत का निर्णय स्पीकिंग आर्डर नहीं है, जो निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है। इसलिए मातहत अदालत का निर्णय निरस्त योग्य है।

11. कानाराम पुत्र शेराराम के फौत होने के बाद उनके जायज वारिस अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 6 ता 37 है।

12. अपीलान्ट का अपीलकृत भूमि में हक हिस्सा है जिसका अपीलान्ट के पिता हेतराम पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर ने दिनांक 28.09.1985 को एक प्रार्थना पत्र श्रीमान् जिलाधीश महोदय श्रीगंगानगर को इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम पंचायत अरड़की रोही मौजा मालिया के खसरा नं. 52 व 111 की कुल 61 बीघा 1 बिस्वा भूमि का नामान्तरण हेतराम पुत्र कानाराम को छोड़कर तीनो भाईयों ने अपने नाम दर्ज करवा रहे है जिसको रोकने हेतु एवं चारों भाईयों के बराबर बराबर दर्ज करने के आदेश प्रदान करे, जिस पर श्रीमान जिलाधीश महोदय श्रीगंगानगर द्वारा तहसीलदार नोहर को आदेशित किया गया कि सभी पक्षों को नोटिस दिया जाकर सुनवाई का अवसर व सुन[illegible] नामान्तरण दर्ज करने हेतु आदेशित किया गया था, जिसकी सुनवाई त[illegible]लदा[illegible]हर के जैरकार है, जिसको छुपाते हुए मातहत अदा[illegible] श्रीमान जिलाधीश महोदय श्रीगंगानगर के आदेश को अनदेखा कर निर्णय [illegible]रित किया गया है। साजिसाना तरीके से रेस्पोडेन्टगण ने विवादित भूमि को अपने नाम दर्ज करवा ली। उक्त अपील में दर्ज भूमि में अपीलान्ट का हित निहित है। नामान्तरण संख्या 1060 से अपीलान्ट के हितों का हनन होता है, इसलिए अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:46:37 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

बिना विधि विरूद्ध तरीके से मनमाना व स्वैच्छाचारिता पूर्ण निर्णय पारित किया गया है, इसलिए अपीलान्ट आवश्यक व प्रभावी पक्षकार होने के कारण बतौर तृतीय पक्षकार अपील पेश करने की स्वीकृति प्रदान करने हेतू अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसकों स्वीकार किया जावे ताकि प्रार्थी को न्याय मिल सके।

13. अपीलाधीन निर्णय का अपीलान्ट को पूर्व में कतई ज्ञान नहीं था। उपरोक्त नामान्तरण संख्या 1060 का दिनांक 07.03.2025 का पहली बार ज्ञान तब हुआ, जब अपीलान्ट हल्का पटवारी के पास अपने नाम की जमाबंदी व गिरदावरी लेने गया, जब हल्का पटवारी द्वारा बताया गया कि उक्त वाद भूमि आपके नाम से दर्ज नहीं है जरिये वसीयत नामान्तरण संख्या 1060 दिनांक 06.06.2023 से रेस्पोडेन्टगण के नाम दर्ज हो चुकी, जब अपीलान्ट ने अपीलाधीन नामान्तरण की प्रतिलिपि प्राप्त कर व वसीयत के आदेश की नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर रहा है, जो कि अन्दर मियाद है।

14. अपील अदालत के क्षेत्राधिकार की निर्धारित कोर्ट फीस पर ज्ञान से अन्दर मियाद पेश है।

लिहाजा अपील अपीलान्ट पेश कर अर्ज है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार कर निर्णय दिनांक 19.05.2023 को निरस्त कर नामान्तरण संख्या 1060 का दिनांक 07.03.2025 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 खारीज फरमाया जावे।

अपील पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या–1 ता 3 की ओर से श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या–6 ता 37 को अधिवक्ता अपीलांट द्वारा तर्क किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोहर से अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही वसीयत के आधार पर निर्णय पारित कर दिया गया। वसीयत में वर्णित भूमि को वसीयतकर्ता कानाराम द्वारा भूमि के खरीद होनें का कोई सबूत नहीं है। वसीयतकर्ता द्वारा उक्त भूमि की वसीयत 05 भाईयों में से 03 भाईयों के नाम वसीयत की गई है। अपीलांट द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी के आधार पर न्यायालय हाजा में अपील दायर की गई है। अपीलांट हेतराम के वारिसान है, जो वसीयतकर्ता कानाराम पुत्र शेराराम का पुत्र है। कुल 08 भाई – बहनों में से 03 भाईयों के नाम वसीयत करवाना उचित नहीं है। अतः अपील अपीलांट

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:46:37 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

स्वीकार की जाकर तहसीलदार नोहर द्वारा दिनांक 19.05.2023 के आधार तस्दीक नामान्तरण संख्या 1060 दिनांक 07.03.2025 को अपास्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या–1 ता 3 द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि अपील में अपीलांट द्वारा नामान्तरण की सही तारीख अंकित नहीं की गई है। तहसीलदार नोहर द्वारा तस्दीक नामान्तरण के लगभग 02 वर्ष बाद अपील पेश की गई है। अपीलांट द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के बिना ही प्रार्थना–पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पेश की गया है। अतः प्रार्थना–पत्र 5 मियाद अधिनियम के आधार पर ही अपील का खारिज किया जावे। अपीलांट द्वारा वसीयत को आदिनांक तक सिविल कोर्ट में चुनौति नहीं दी गई। वसीयत में वर्णित भूमि से हक घोषणापत्र के दावा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर में जैरकार है। वसीयत की वैधता पर राजस्व न्यायालय द्वारा कोई निर्णय पारित नहीं किया जा सकता है। इस हेतु निम्न दृष्टांत प्रस्तुत किये है–

1. [2019 RBJ 142] - Jhamku(Smt) & Anr. *versus* Devi lal

2.2025(1) Civil Courts Cases 612(M.P.)

3. 2022(2) Civil Courts Cases 158 (S.C)

4. 2018(2) RRT 848

5. 2001(1) RLW page No. 9

6.2006-07(Supp.) RRT 277

अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एंव अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली का अध्ययन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोहर की पत्रावली का अध्ययन करनें पर पाया कि कानाराम पुत्र शेराराम जाति जाट निवासी मालिया तहसील नोहर द्वारा ग्राम पंचायत मालिया के खाता संख्या 17/18 के खसरा नं0 52, 111, 120 की कुल [illegible] ख0नं0 52 की 18 बीघा व ख0नं0 111 की 43 बीघा 01 बीस्वा कुल 61 बीघा 01 बीस्वा [illegible] यत अपनें पुत्रों रामजीलाल, मनीराम, अमीलाल जाति जाट [illegible] करवाई गई, जो दिनांक 24.07.1981 को तहसीलदार नोहर द्वारा [illegible] पित है। वसीयतकर्ता कानाराम पुत्र शेराराम की मृत्यु दिनांक 15.09.1987 हो चूकी [illegible] वसीयत के अनुसार नामान्तरण दर्ज करनें बाबत प्रार्थना–पत्र अमीलाल पुत्र कानाराम द्वारा तहसीलदार नोहर के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:46:37 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर (हनुमानगढ़)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में कानाराम पुत्र शेराराम जाति जाट निवासी मालिया पुत्र–पुत्रीयों की संख्या का अंकन नहीं किया गया, ना ही उनके वर्तमान में वारिसान के बारे में स्पष्ट किया गया है। कानाराम पुत्र शेराराम द्वारा दिनांक 24.07.1981 को की गई वसीयत में दर्ज भूमि पैतृक है या स्वंय उपार्जित है, इस बाबत अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में कोई रिपोर्ट संलग्न नहीं है। वसीयतकर्ता द्वारा दिनांक 24.07.1981 को वसीयत निष्पादित की गई, वसीयतकर्ता की मृत्यु दिनांक 15.09.1987 हो चूकी है। प्रार्थी द्वारा वसीयत के अनुसार नामान्तण दर्ज करनें हेतु प्रार्थना–पत्र लगभग 37 वर्ष बाद पेश किया गया है, जो संदेहास्पद प्रतीत होता है। हेतराम वल्द कानाराम द्वारा दिनांक 28.09.1985 को श्रीमान जिलाधीश महोदय, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर वसीयत के अनुसार नामान्तरण दर्ज होनें से रोकनें बाबत निवेदन किया।

न्यायालय के मत अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होनें से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नोहर द्वारा वसीयत के आधार पर स्वीकृत नामान्तरण संख्या 1060 दिनांक 06.06.2023 ग्राम मालिया को अपास्त किया जाकर पत्रावली इस निर्देश के साथ तहसीलदार नोहर को प्रतिप्रेषित(Remand) की जाती है कि कानाराम पुत्र शेराराम जाति जाट निवासी मालिया द्वारा दिनांक 24.07.1981 को निष्पादित वसीयत में वर्णित भूमि पैतृक है या स्वउपार्जित भूमि है एंव कानाराम के वारिसान की जांच कर, समस्त पक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिया जाकर नियमानुसार प्रकरण का निस्तारण करे।

अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाई जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 22/4/26 को सरेइजलास सुनाया गया।

(संजू पारीक आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:46:37 IST
Reason: SelfAttested